ई–मार्केट कोऑपरेटिव प्लेटफार्म **e-MCP**
उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–**UKCDP**

(एन.सी.डी.सी. द्वारा **CSISAC** घटक–1 के अन्तर्गत संचालित)

संकल्प से सिद्धि–सहकारिता से समृद्धि

UKCDP- एक परिचय

उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, दूर–दूर बिखरी छोटी–छोटी कृषि जोतों, खेती बाड़ी में खेती के परंपरागत तौर–तरीकों के प्रचलन, किसानों की संगठित बाजारों तक सीमित पहुंच, खेती की बारिश पर निर्भरता, प्रसंस्करण व परिवहन सुविधाओं का अभाव, मंहगी परिवहन प्रणाली, सहकारी समितियों के आंकड़ों का डिजीटल फार्म में न होना आदि के लिए जानी जाती है। यहां के उत्पादों को खेतों से बाजार और उपभोक्ता की भोजन की थाली तक पहुंचाने के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला के घटक या तो मौजूद नहीं हैं या फिर उनका प्रयोग जल्दी नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के संदर्भ में नहीं हो पा रहा है। यहां का किसान या तो अपने जीवन निर्वाह के लायक ही उत्पादन कर पाता है या फिर वह अपने उत्पादों को बहुत कम दामों पर ही स्थानीय बाजारों में बेचने को मजबूर है।

उत्तराखंड की सहकारी समितियां बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति–एम. पैक्स के नाम से पंजीकृत हैं। यह गांव स्तर पर चलने वाले बहुत सी कानूनी व्यवासायिक गतिविधियों की धुरी हैं। इन समितियों में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर किसानों के हित में उल्लेखनीय योगदान देने की प्रबल संभावना छिपी है। यहां की खेती की विषम परिस्थितियों को देखते हुए ही संयुक्त सहकारी खेती के माध्यम से वृहद स्तर पर उत्पादन, संग्रहण एवं तैयार उत्पादों को लाभकारी मूल्य पर बाजार में उतारना उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–**UKCDP** परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। परियोजना में राज्य की 670 एम.पैक्स का सुदृढ़ीकरण करते हुए किसानों की छोटी–छोटी जोतों का सहकारी सामूहिक खेती हेतु प्रयोग करते हुए उस पर आधुनिक तकनीकी के द्वारा क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारित कृषि उत्पाद को प्रोत्साहित किया जायेगा। परियोजना में प्राथमिक स्तर पर इन सहकारी समितियों को 'ग्रामीण आर्थिक विकास केन्द्र' के तौर पर विकसित कर उनका डिजिटाईजेशन एवं 48 मार्केटिंग सोसाईटीज को सुदृढ़ करते हुए मूल्य श्रृंखला, भंडारण, शीत भंडारण तथा खेतों से बाजार तक कृषि उत्पादों की पहुंच बनाना शामिल किया गया है। सहकारी समितियों के विविध व्यवसाय यथा कृषि औद्यानिकी, जड़ी बूटी, सगन्ध पौध, होम स्टे व ई–मंडी आदि का सम्यक विकास परियोजना का लक्ष्य हैं। सहकारिता क्षेत्र की दशा और दिशा सुधारने वाली देश की यह अपनी तरह की एक विशिष्ट परियोजना है। इस परियोजना से जुड़े लाखों किसानों के साथ 50000 सीमांत व लघु किसान लाभान्वित होंगे। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा।

ई–मार्केट कोऑपरेटिव प्लेटफार्म **e-MCP**

EMCP के तहत उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के दूरगामी उद्देश्यों में प्रदेश की 48 क्रय–विक्रय सहकारी समितियों एवं उनसे जुड़े किसानों को ग्रामीण आर्थिक विकास केन्द्र के तौर पर विकसित कर उनको आई.टी. डिजिटल सुविधाओं हेतु ई–समिति पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित

है। साथ ही क्रय–विक्रय समितियों से जुड़े किसानों को आई0टी0 डिजिटल प्लेटफार्म प्रदान कर उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए प्रारम्भिक इनपुट जैसे–बीज, खाद, उर्वरक दवाईयां, उपकरण, मशीन, ट्रांसपोर्टेशन, गोदाम, भंडारण सहित उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने हेतु किसानों को देश दुनिया की खेती–बाड़ी और बाजार व्यवस्था से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी और सूचनाओं को ई–पोर्टल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाकर उनका आर्थिक सशक्तीकरण करना भी है।

ई–मार्केट कोऑपरेटिव प्लेटफार्म e-MCP का उद्देश्य किसी इलाके की सभी खेती, व्यापार और डिजिटल गतिविधियों के केन्द्र में एक मार्केटिंग सोसायटी की स्थापना कर राज्य में बिजनेस का एक स्वस्थ माहौल तैयार करना है, जहां पर उत्पादक, उपभोक्ता, प्रोसेसर और वितरक एक मेज पर बैठकर सीधे संवाद स्थापित कर सकें। e-MCP का कार्य राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास में आने वाली बाधाओं का समाधान करना भी है। कृषि उपज हेतु विपणन की एम संगठित, प्रभावी और पारदर्शी प्रणाली उपलब्ध कराकर किसानों को नवीनतम तकनीकी प्रक्रिया के बारे में सुझाव देकर उनके मुनाफे को बढ़ाने में मदद करने हेतु एक सलाहकार के तौर पर काम करना भी है। e-MCP अपने रोजमर्रा के कामों के अलावा सूचना प्रसारण में सरकार की एक शाखा के तौर पर भी काम करेगी। किसानों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना e-MCP का एक अतिरिक्त आयाम होगा।

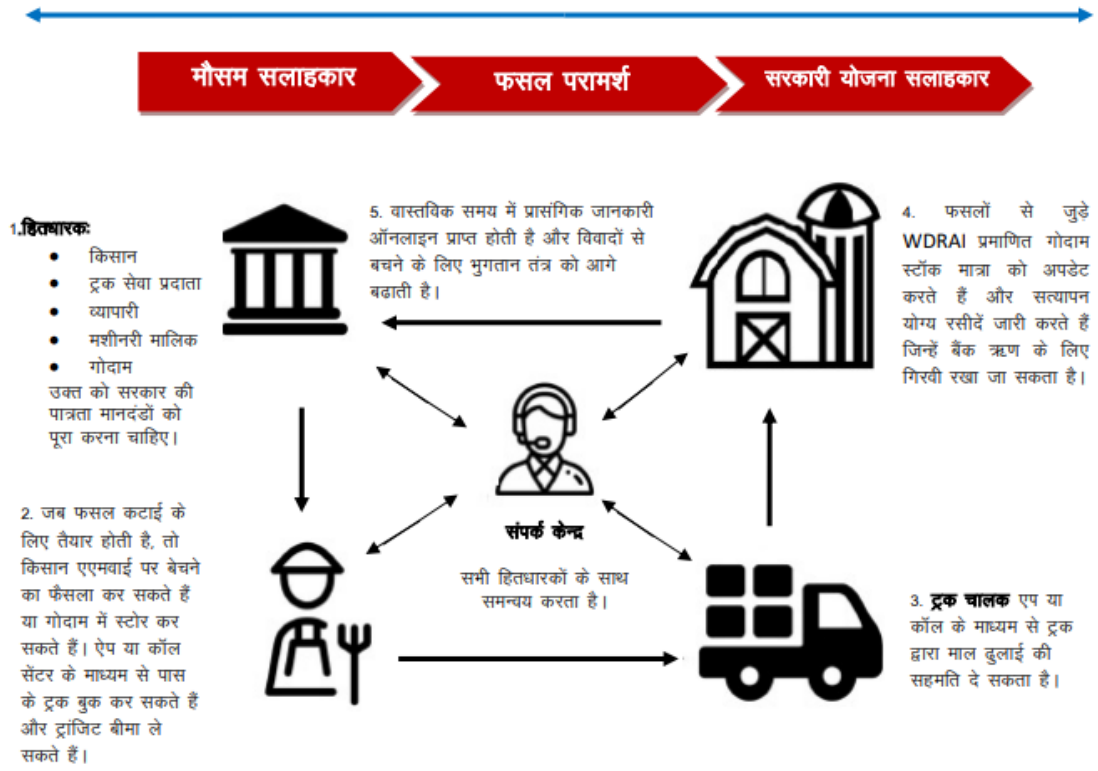

उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की चुनौतियां

देश की अर्थव्यवस्था में अपने बड़े योगदान के बावजूद कृषि क्षेत्र उत्तराखंड कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहां की कृषि क्षेत्र की चुनौतियों में मुख्य हैं– लंबी अवधि का सूखा पड़ना, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, फसल बीमा योजना तक किसानों की पंहुच कम होना, विपणन सुविधाओं की कमी, अव्यवस्थित और आधी–अधूरी आपूर्ति श्रृंखला, कम उत्पादन, कृषि से जुड़ी पूरी मूल्य श्रृंखला को एक साथ लाने के लिए एक मजबूत कारोबारी माहौल का अभाव आदि शामिल हैं। यहां तक कि सही

समय पर वित्तीय आवश्यकताओं की जानकारी की कमी और समय पर धन की उपलब्धता न होना इन चुनौतियों को बढ़ा देती है। राज्य में किसानों की उत्पादकता और आय में बढ़ोतरी हेतु इन सभी प्रतिकूल कारकों पर ठोस रणनीति बनाकर काम करने की फौरी जरूरत है।

ई–मार्केट कोऑपरेटिव प्लेटफार्म का उद्देश्य

ई–मार्केट कोऑपरेटिव प्लेटफार्म का उद्देश्य क्रय विक्रय समितियों में प्रौद्योगिकी का समावेश करते हुए किसानों की फसल के डाटा को डिजिटाईज कर उनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्रय–विक्रय समितियों की कार्यदक्षता एवं लाभप्रदता में सुधार करना है। किसानों के डाटा के डिजिटाईजेशन के बाद e-MCP के माध्यम से किसानों की वित्तीय एवं अन्य आवश्यकताओं जैसे–उपज, उत्पादन, बाजारी मूल्य, यातायात व्यवस्था, मौसम की जानकारी एवं अन्य सूचनाओं को उन तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे एक पारदर्शी विपणन प्रणाली विकसित की जा सकेगी। क्रय विक्रय समितियां लघु एवं सीमांत किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए e-MCP के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगी।

इसका फायदा होगा कि किसानों की अपनी जरूरत के संसाधनों तक पहुंच बनेगी, उनका क्षमता विकास होगा, वह अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करेंगे, अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से बनाएंगे, और सही तरीके से भुगतान करने व प्राप्त करने में दक्षता हासिल कर सकेंगे, साथ ही वह अपने विवादों का बेहतर तरीके से निपटारा भी कर सकेंगे। इस तरह से लघु व सीमांत किसान अपनी आजीविका और अपनी खास जरूरतों का हल खोजने के लिए देश–दुनिया के अन्य किसानों से जुड़ सकेंगे।

e-MCP प्लेटफार्म के प्रमुख हितधारक

- किसान
- क्रय विक्रय समितियां/क्रय विक्रय फैडरेशन
- ट्रक, ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर जैसे उपकरणों को किराये पर लेने में रूचि रखने वाली कृषि मशीनरी के मालिक और एजेंसियां
- परिवहन सेवा प्रदाता
- व्यापारी

e-MCP प्लेटफार्म प्रोजेक्ट की लागत

क्रय विक्रय समितियों के डिजिटाईजेशन प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत निम्नानुसार आंकी गई है। यह धनराशि सहकरिता परियोजना द्वारा एम.पैक्स को ऋण के तौर पर उपलब्ध कराई जायेगी।
प्रोजेक्ट की लागत

वस्तु		मूल्य	कुल मूल्य
सॉफ्टवेयर		560,000.00	560,000.00
हार्डवेयर		154,000.00	154,000.00
	कुल	714,000.00	714,000.00

e-MCP प्लेटफार्म हेतु क्रय विक्रय समितियों को देय ऋण की अदायगी क्रय विक्रय समिति चुकाऐगी। इसके लिए समिति किसानों को उपलब्ध कराने वाली हर सुविधा पर 2 प्रतिशत कमीशन चार्ज करेगी। इस तरह से अर्जित धनराशि से ही वह परियोजना से प्राप्त ऋण की अदायगी करेगी।

ई–मार्केट के माध्यम से हितधारकों को लाभ

UKCDP प्रोजेक्ट

- बेहतर किसान कल्याण की संभावना
- उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य एवं गुणवत्तापरक उत्पादों को उपलब्ध करा सकना
- किसानों की समस्याओं को कम कर सकना
- राज्य की जी.डी.पी. को बढ़ाने में योगदान
- किसानों हेतु उनके पारिश्रमिक और विविध रोजगार के मौकों को सुनिश्चित कर पलायन की संभावना को कम कर रिवर्स माईग्रेशन को बढ़ावा देना।

किसान

किसान इस परियोजना के प्रमुख हितधारक हैं, क्योंकि वही इसके प्रमुख लाभार्थी भी होंगे। किसानों को अपना आवेदन भरकर मोबाईल आधारित प्लेटफार्म पर अपना पंजीकरण कर योजना का लाभ लेने के लिए संबधित मार्केटिंग सोसाईटी से संपर्क करना होगा और परियोजना मानकों के अनुसार अपनी व्यक्तिगत पहचान संबधी दस्तावेजों को उपलब्ध कराना होगा। किसान उक्त प्लेटफार्म का लाभ लेकर निम्न कार्य कर सकेंगे–

- कृषि उपज का उचित मूल्य
- बकाया का समय पर निपटारा
- बेहतर कीमतों हेतु फसल का व्यवस्थित परिवहन एवं भंडारण
- वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर तालमेल की संभावना
- कृषि मशीनरी को आसानी से खोजकर उनको किराये पर लेना।
- अपने घरों के बिजली और पानी के बिलों का आराम से भुगतान करना।
- किसी समय विशेष पर बाजार भाव को जानकर उसको प्राप्त कर पाना।

- फसल के परिवहन और भंडारण हेतु आस–पास से ट्रक और गोदामों की व्यवस्था कर पाना।
- मौसम की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर पाना।
- किसान अपनी फसलों को नजदीकी गोदामों या बाजार तक पहुंचा सकते हैं।
- यदि किसान यह अनुमान लगा पायेगा कि उसकी उपज की कीमतें भविष्य में बढ़ने की संभावना है और वह अपनी फसल को गोदाम में रखना चाहता है तो उसे 8 महीनों या सरकारी नियमों के अनुसार तय अवधि तक ऐसा करने हेतु सक्षम बनाया जा सकता है।
- इस बीच में किसान उपज मूल्य के लगभग 75–80 प्रतिशत के लिए वाणिज्यिक या डीसीसीबी से उपज गिरवी ऋण ले सकता है और बदले में उसे सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- किसान अपनी फसल को गोदाम में रखने के समय से 8 महीने तक किसी भी समय अपनी उपज को लाभकारी मूल्य पर बेच कर अपना ऋण चुकाकर शेष राशि को प्राप्त कर प्रयोग में ला सकता है।
- किसान के पास एम.एस.पी. पर होल्डिंग अवधि के दौरान किसी भी समय अपने स्टोर की उपज को बेचने का अधिकार होगा।

व्यापारी, थोक व्यापारी और कॉर्पोरेट खरीदार

- इन सभी को कीमतों, साल भर आपूर्ति और गुणवत्ता का आश्वासन प्राप्त होना
- आपूर्ति की गई सेवाओं और सामानों हेतु समय पर भुगतान की प्राप्ति
- वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ी मांग
- विवादों का कुशलता से निपटारा
- उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग

सहकारिता और विपणन संघ

- सहकारिता बाजार को उचित कीमतों, साल भर आपूर्ति व गुणवत्ता का आश्वासन दे सकती है
- आपूर्ति की गई सेवाओं और सामानों हेतु उसे समय पर धन की प्राप्ति होती है
- वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्च मांग
- विवादों का अनुकूलता से निपटारा
- उपलब्ध संसाधनों को बेहतर उपयोग

अन्य हितधारकों को **e-MCP** प्लेटफार्म से लाभ

- बड़ी संख्या में सेवा उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करके आय में वृद्धि।
- एक पारदर्शी और निबार्ध लेन–देन प्रकिया की शुरूआत और बड़ी संख्या में किसानों की समस्याओं से जुड़े सवाल–जवाबों का निराकरण।
- सरकारी नीतियों और सलाहों तक पहुंच बनना।

मार्केटिंग सोसाईटीज तक पहुंच बनना

- व्यापक प्रभाव और कवरेज क्षेत्र।
- अधिक व्यावसायिक अवसरों से राजस्व में बढ़ोतरी की संभावनाएं।

- बेहतर कार्य संबधी गतिविधियां
- संसाधनों और वित्त पोषण के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग।

ई–मार्केट की कार्य विधि का संक्षिप्त विवरण

ई–मार्केट विकसित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

- एम.पैक्स के कम्पयूटर में सॉफ्टवेयर इन्सटाल किया जायेगा।
- इस सॉफ्टवेयर में किसान का पूरा विवरण होगा। जैसे–किसान के पास कितनी भूमि है, वह कौन से सीजन में कौन सी फसलें उगाता है, उसका अनुमानित उत्पादन आदि। हर किसान को एक आई.डी. नंबर दिया जायेगा जो कि समिति के साथ प्रत्येक कार्य में प्रयुक्त होगा।
- इस तरह से समिति के अन्तर्गत आने वाले सभी किसानों का अनुमानित पैदावार ब्यौरा ई–मार्केट प्लेटफार्म पर दिखाई देगा। इस जानकारी को देखकर साफ्टवेयर से जुड़ा हर खरीददार समिति से संपर्क कर सकेगा।
- समिति से जुड़े सभी खरीददार मंडी से लगभग 15 से 20 प्रतिशत अधिक दर पर खरीदारी करते हैं। यदि वह समिति से या बिक्री केन्द्र से माल उठायेंगे तो किसानों का मंडी तक उपज पहुंचाने का व्यय बच जायेगा। साथ ही वह 6 प्रतिशत मंडी प्रभार से भी बच जायेगा।
- किसान अपने पास उपलब्ध खेती के उपकरणों को ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा आसानी से किराये पर ले दे सकते हैं।
- खरीददारों के साथ बिक्री दर का निर्धारण किसान के बजाय समिति करेगी।
- समिति या फैडरेशन द्वारा किसान से क्या कमीशन लेना है उसका निर्धारण किसान की सहमति से होगा।
- फसल की पैदावार के अनुसार समिति एक से ज्यादा बिक्री केन्द्र खोल सकती है।
- फसल का मूल्य फसल की दर तय होने के बाद किसान के खाते में खरीदार के माल उठाने के समय अग्रिम आ जायेगा।

सभी हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां

ई–मार्केटिंग व्यवस्था से जुड़े हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां निम्नानुसार तय की गई हैं–

• समिति

प्रौद्योगिकी के प्रयोग से एक ऐसा नवाचारी हल खोजना जो किसी मार्केटिंग सोसाईटी से जुड़े समस्त हितभागियों की क्षमताओं को बढ़ा सके। यह तकनीकी हल किसानों को उनकी खास जरूरत के वक्त जैसे जरूरत पर किसानों को कृषि गतिविधियों हेतु वित्तीय मदद पहुंचाने और जिले से राज्य स्तर पर सहकारिता समिति के बारे में पारदर्शी एवं सही सूचनाओं के प्रेषण में मददगार साबित होगा।

• यू.के.सी.डी.पी.

किसानों के लिए आवश्यक सभी फायदेमंद संसाधनों को सहकारिता समितियों तक पहुंचाकर उनका सशक्तीकरण करना। लघु एवं सीमांत किसानों की खास जरूरतों को देखते हुए प्रौद्योगिकी एवं

तकनीक तक उनकी पहुंच बनाकर और उनकी आजीविका की जरूरत को समझते हुए ऐसे हल खोजना जिससे वह दुनिया के बाजार एवं अन्य किसानों तक पहुंच बना सकें।

- तकनीकी संस्था (नेकाफ)

परियोजना की आवश्यकतानुसार ऐसी तकनीकी विकसित कर सहकारिताओं तक पहुंचाना जिसको सहकारिता समितियां बिना किसी दिक्कत के निर्बाध रूप से प्रयोग कर सकें। नेकाफ की यह भी जिम्मेदारी है कि वह परियोजना से संबधित तमाम सूचनाओं का संकलन कर उनको सही समय पर समस्त हितभागियों जैसे किसान, सहकारिता समिति, थोकविक्रेता, मार्केटिंग एजेंसियों, ट्रांसपोर्टर, गोदाम व राज्य सरकार तक पहुंचाए। नेकाफ सहकारिता परियोजना के निर्देशों के अनुसार काम करके परियोजना के लक्ष्यों को तय समय सीमा में प्राप्त करने और परियोजना क्रियान्वयन हेतु कार्य करेगा।

वर्तमान स्थिति

परियोजना मानकों के अनुरूप राज्य की 48 क्रय विक्रय समितियों को e-MCP के बारे में जानकारियां बांटी जा चुकी हैं। अभी तक 10 क्रय विक्रय समितियों को डिजिटाईजेशन हेतु चिन्हित किया गया है। साथ ही इस प्रक्रिया हेतु चिन्हित तकनीकी संस्था नेकाफ से क्रय विक्रय समितियों की बातचीत शुरू होकर उनके डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया की शुरूआत हो चुकी है। इनमें से देहरादून, चमोली, टिहरी चंपावत, उत्तरकाशी 7 क्रय विक्रय समितियों को तय धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है। इन सभी क्रय विक्रय समितियों द्वारा नेकाफ को डिजिटाईजेशन प्रक्रिया हेतु निर्धारित धनराशि का स्थांतरण किया जा चुका है।

संभावित प्रभाव

ई–मार्केट कोऑपरेटिव प्लेटफार्म का उद्देश्य कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों के दुख दर्दो एवं निराशा को कम कर उनकी आय बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग परियोजना के विभिन्न घटकों की कार्यप्रणाली की दक्षता एवं क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ई–मार्केटिंग से किसानों को अपनी वित्तीय समझ एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे उनको राज्य, देश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। ई–मार्केटिंग का फायदा परियोजना से जुड़े तमाम हितभागी उठा सकेंगे। ई–मार्केट से किसानों को होने वाले फायदों से राज्य सरकार को जनता का ज्यादा सहयोग मिलेगा, किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा और राज्य की जी.डी.पी. में बढ़ोतरी होगी। किसानों का हित होने से इस परियोजना समेत राज्य की अन्य विकास परियेाजनाओं की सफलता के मौके बढ़ेंगे। प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के प्रयोग से किसान समृद्ध होकर ज्यादा उत्पादक और सफल किसान के तौर स्थापित होंगे। ई–मार्केटिंग परियोजना से जुड़े किसानों को राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उत्पादों के बेहतर दाम दिलाने में सफल होगी। इससे राज्य की जी. डी.पी. बढ़ेगी और बढ़ी हुई जी.डी.पी. से राज्य को एक नई पहचान दिलाएगी।

ज्यादातर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न

1. e-MCP क्या है?
   ई–मार्केट कोऑपरेटिव प्लेटफार्म।
2. e-MCP क्या कार्य करेगी?

e-MCP तकनीकी जानकारियों एवं सूचनाओं के माध्यम से किसानों के उत्पादों और खरीदारों के बीच की दूरी को कम करने का कार्य करेगा।

3. इस योजना के लाभार्थी कौन–कौन और कैसे हो सकते हैं?
   सहकारी समितियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। यदि कोई किसान समिति का सदस्य नहीं है, और इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह समिति में सदस्यता प्राप्त कर इससे जुड़ सकता है।
4. क्या किसानों के पास e-MCP योजना के अन्तर्गत आने के लिए स्मार्ट फोन होना आवश्यक है?
   नहीं स्मार्ट फोन होना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि किसी के पास स्मार्ट फोन है तो e-MCP के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली सभी आवश्यक सेवाओं का फायदा किसान उठा सकेंगे। यदि किसी किसान के पास स्मार्ट फोन नहीं है तो भी किसान काल सेंटर के माध्यम से संबधित मार्केटिंग समिति से जुड़कर e-MCP की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। हर समिति को कियोस्क सिस्टम उपलब्ध कराया जायेगा और e-MCP प्रतिनिधि e-MCP योजना के अन्तर्गत किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं।
5. किसानों को इसका क्या फायदा होगा?
   किसानों को कोई मंडी फीस और परिवहन लागत नहीं देनी होगी।
6. मार्केटिंग सोसाईटी को e-MCP का ढ़ांचा तैयार करने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी?
   8.42 लाख रू.
7. इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किससे संपर्क करें?
   अधिक जानकारी के लिए मार्केटिंग समिति के सचिव या कार्यक्रम निदेशालय देहरादून से संपर्क किया जा सकता है।